



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272376  
CG-DL-E-09052026-272376

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2250]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2250]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2341(अ).— केन्द्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 139 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सामाजिक सुरक्षा (केन्द्रीय) नियम, 2026 की अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिन को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के प्रत्येक स्थापन के नियोक्ता, रिक्तियों की सूचना संबंधित कैरियर केंद्र को देंगे।

[फा. सं. डीजीई-जेड-11011/01/2026-ईई-1]

अजय शर्मा, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2341(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 139 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby notifies ninety days from the date of notification of the

---

Social Security (Central) Rules, 2026 as the date from which the employer in every establishment in public sector and private sector shall report the vacancy to the concerned career centre.

[F. No. DGE-Z-11011/01/2026-EE-I]

AJOY SHARMA, Addl. Secy.